जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रारूप "क"

(देखिए विनियम 3)

.....के विनियम (3) के साथ पठित, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (23) की उप–धारा (1) के अनुसरण में, इसके द्वारा, सूचना दी जाती है कि जोधपुर संभाग के निम्नलिखित क्षैत्रों के संबंध में मास्टर विकास योजनाएं (मास्टर डवलपमेंट प्लान) तैयार की गई है:–

कोई भी व्यक्ति राज–पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा/या दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पहले हो, तीस दिनों की कालावधि के भीतर उक्त मास्टर प्लान प्रारूप के संबंध में आपत्तियों और सुझाव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेगा।

तारीख.....

प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी

प्रारूप "ख"

(देखिए विनियम 4)

सूचना

..... के विनियम (4) के साथ पठित, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (24) के अनुसारण में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित क्षैत्रों के संबंध में प्रस्तावित जोधपुर संभाग की मास्टर विकास योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है:–

इस मास्टर योजना की प्रतिलिपियों का निरीक्षक, कलैक्टर, जोधपुर के कार्यालय, जोधपुर नगर निगम के कार्यालय तथा संबंधित सभी पंचायत समितियों के कार्यालयों में सभी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है और प्रतियां जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय से खरीदी जा सकती है।

अधिकारी या प्राधिकारी

प्रारूप "ग"

(देखिए विनियम 5)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम, 2009 की धारा (25) की उप धारा –– (3) तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसारण में, इसके द्वारा, सूचना दी जाती है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तथा ..... को प्रकाशित जोधपुर संभाग के मास्टर प्लान प्रारूप को नीचे उपदर्शित रीति से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है:–

प्रस्तावित उपान्तरण

कोई भी व्यक्ति राज–पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा/ या किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से जो भी पहले हो, तीस दिनों की कालावधि के भीतर उपर्युक्त उपान्तरणों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेगा।

अधिकारी

जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014

1–संक्षिप्त नाम और प्रभाव :–

1.1 यह विनियम, जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1.3 यह विनियम, प्राधिकरण के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए लागू होंगे।

2– परिभाषायें:– इन विनियमों में जब तक विषय अथवा सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:–

2.1 अधिनियम से अभिप्राय:– जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 से हैं।

2.2 **विनियम एवं नियमों से अभिप्रायः–** अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अथवा समय समय पर बनाये और प्रभावशील होने वाले विनियमों, नियमों से है जब तक कि किसी दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित ऐसे विनियमों, नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो।

2.3 **धारा से अभिप्रायः–** अधिनियम की धाराओं से है जब तक कि धारा के साथ किसी अन्य अधिनियम का उल्लेख न हो।

2.4 **समिति अथवा समितियों से अभिप्रायः–** उन समस्त समितियों से है जो धारा 10 के अन्तर्गत प्राधिकरण या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित की जाए।

2.5 **प्राधिकरण के सदस्यों से अभिप्रायः–** धारा 4 (1) में उल्लेखित सरकारी एवं इस धारा 4 (1) में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर–सरकारी सदस्यों से है।

2.6 **समिति के अध्यक्ष/सदस्यों से अभिप्रायः–** इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए बनाये गये अध्यक्ष/सदस्यों से है।

2.7 जब तक राज्य सरकार अथवा विधि अनुरूप अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाए, उपरोक्तानुसार परिभाषित के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2 में की गई व्याख्या अन्य शब्दावली इन विनियमों के प्रयोजनार्थ विधि संगत मानी जायेगी।

3– **गठित की जाने वाली समितियांः–** अधिनियम की धारा 10 व अधिनियम के तत्सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण की ओर से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार समितियां गठित की जा सकेगीः–

1– भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति
2– भवन मानचित्र समिति–प्रथम
3– भवन मानचित्र समिति–द्वितीय
4– प्राजेक्ट समिति
5– अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू–उपयोग परिवर्तन समिति
6– अन्य वे समितियां, जो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समय समय पर और गठित की जाए।

4– **समितियों के कर्तव्य/अधिकारः–** विनियम 3 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की समितियों के कर्तव्य/कार्यकलाप निम्न प्रकार होंगेः–

4.1 **भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समितिः–**

(1) समस्त पब्लिक व चेरिटेबल, पंजीकृत संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं व मूलभूत आधार के विभिन्न प्रयोजन के प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही करना।

(2) भवन मानचित्र समितियों के अधिकार क्षैत्र के बाहर के सभी प्रकार के भूखण्डों के उपविभाजन की कार्यवाही पर विचार कर निर्णय लेना।

(3) संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के मामलों में भू–आवंटन संबंधी समस्त कार्यवाही कर निर्णय लेना।

(4) स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के मामलों का निस्तारण।

(5) भूमि सहित सम्पत्ति के निपटारे से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करना।

(6) प्राधिकरण की किसी योजना के लिए समझौता वार्ता से भूमि अवाप्त करने संबंधी प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेना।

(7) भूमि/ भूखण्डों के हस्तानान्तरण के प्रकरणों पर निर्णय लेना।

स्पष्टीकरणः– भूमि के निष्पादन और आवंटन के संबंध में।

(1) Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(2) यह समिति उनके सामने प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों की स्क्रिनिंग करवाने के लिए आवश्यकतानुसार उप समिति बना सकेगी।

4.2 भवन मानचित्र समिति प्रथमः–

(1) 1000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के संस्थागत व वाणिज्यिक निर्माण की स्वीकृतियों के मामलों पर विचार कर अन्तिम निर्णय लेना।

(2) 500 वर्ग मीटर तक के उन आवासीय निर्माणों के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हो रहे कार्यों का विनियमों के परिप्रेक्ष्य में विशलेषण करना तथा इसी सीमा तक संस्थागत व वाणिज्यिक स्वीकृतियों के अनुसार भवन निर्माण कार्यों का परीक्षण कर तत्सम्बन्धित कार्यवाही करना/करवाना।

(3) बिन्दु संख्या 1 व 2 के मामलों में विनियमों, नियमों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज्ञेय (Permissible) सीमा तक के समझौतक की कार्यवाही करना।

(4) 1000 वर्ग मीटर तक के आवास भू–खण्डों के उप विभाजन की कार्यवाही।

4.3 भवन मानचित्र समिति द्वितीयः–

भवन निर्माण समिति प्रथम के अधिकार क्षैत्र के अलावा बाकी समस्त मामलों में यह समिति मानचित्र अनुमोदन तथा मानचित्रों के नियमबद्धीकरण के समस्त कार्यों का निष्पादन करेगी। इसी प्रकार मानचित्र समिति प्रथम के कर्तव्यों के लिए निर्धारित बिन्दु संख्या 3 की सीमा से अधिक क्षैत्रफल के लिए आरोप (Permissible) सीमा तक समझौते की कार्यवाही भी कर सकेगी।

4.4 प्रोजेक्ट समितिः–

(1) प्रोजेक्ट के चिन्हिकरण की कार्यवाही।

(2) प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक कन्सेप्ट के अनुमोदन की कार्यवाही।

(3) विस्तृत रूप से प्रोजेक्ट अनुमोदन करने की कार्यवाही।

(4) प्रोजेक्ट के कियान्वयन की समीक्षा।

(5) गृह निर्माण सहकारी समितियों व खातेदार जो अपनी भूमि पर स्वयं विकास करना चाहते हैं, की योजनाओं के ले आऊट प्लान अनुमोदित करने की कार्यवाही। निर्माण कार्यों के कियान्वयन में हुए विलम्ब के प्रति शास्ती आरोपण सहित नियमितिकरण करना या उसे निरस्त करना।

(6) पूर्व में जारी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियों के परिप्रेक्ष्य में करवाये गये/करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों के नियमितीकरण/ वित्तीय अनुमोदन संबंधित कार्य करना।

स्पष्टीकरणः– यहां प्रोजेक्ट से तात्पर्य आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स योजनाएं, फ्लाई–ओवर्स, रोड अन्डर ब्रिज, सनवेज, औद्योगिक विकास, सडकों, नालियों व क्रोसिंग सहित विकास के अन्य मामले शामिल है जिनका यह समिति निस्तारण करेगी।

4.5 अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू–उपयोग परिवर्तन समितिः– अधिनियम व तत्समबन्धित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू–उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 25 व अन्य तत्सम्बन्धित प्रावधानों के संबंध में निर्धारित क्षैत्रफल की सीमा तक के समस्त प्रकार के प्रकरणों पर यह समिति विचार विमर्श कर सकारण निर्णय ले सकेगी।

अधिकारः– विनियम संख्या 3 में उल्लेखित विभिन्न समितियां उनके लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के निमित अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्राधिकरण की उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगी जो Specific रूप से अधिनियम व अन्य वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति या पदेन अधिकारी के नाम से उल्लेखित की हुई नहीं हो।

स्पष्टीकरणः– विनियम 4 में उल्लेखित समितियों के उद्देश्य, फंक्शन और अधिकारों के समय समय पर अभिवृद्धि या कमी प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त/अधिकृत अधिकारों के अन्तर्गत की जा सकेगी।

5– समितियों में बाहरी व्यक्तियों का अनुपातः– समिति में जितने सदस्य धारा 4 में प्राविधित प्राधिकरण के सदस्य शामिल किये जाएंगे उनके अनुपात में धारा 10 (1) में प्राधिकरण के अन्य पदेन अधिकारी व बाहर के व्यक्ति आधे से अधिक नहीं होंगे जिन्हें प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष द्वारा

मनोनीत किया जावेगा। ऐसे मनोनीत सदस्यों को प्राधिकरण के अध्यक्ष समय समय पर बदल सकेगी।

6– **समितियों के अध्यक्षः–** समितियों के अध्यक्ष धारा 4 में उल्लेखित प्राधिकरण के सदस्यों में से बनाये जायेंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष समिति के अध्यक्षों व सदस्यों को समय समय पर बदल सकेंगे।

7– **समिति की बैठकें और गणपूर्तिः–** सभी समितियों की बैठकें माह में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। समितियों का कोरम आधे सदस्यों का माना जायेगा। किसी प्रस्ताव पर बराबर मतों की अवस्था में अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा।

8– **समितियों के सदस्य के कर्तव्यों का निर्वहनः–** इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए सचिव के कर्तव्य का निर्वहन प्राधिकरण के सचिव धारा 8(3) के अनुसारण में करेंगे, किन्तु सुगम कार्य संचालन और सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से प्राधिकरण के सचिव अपने अधीन किन्हीं अन्य अधिकारियों को इन समितियों के सचिव के कर्तव्य निर्वहन हेतु अपनी ओर से अधिकृत कर सकेंगे।

समिति के सचिव बैठक समाप्ति के तीन दिन के अन्दर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रेषित करेंगे। धारा 4 (3) में उल्लेखित प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष किसी समिति के निर्णय को बदल सकेंगे और किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए समितियों को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

9– **समिति के लिए एजेन्डाः–** समिति के विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले विषयों/प्रकरणों का एजेण्डा आयोजित बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व जारी किया जावेगा। किन्तु एजेण्डे के अतिरिक्त मामलों पर अध्यक्ष व सदस्यों की सहमति से बैठक में विचार किया जा सकेगा। समिति का एजेण्डा समिति के सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात् जारी किया जाएगा एवं बैठक की कार्यवाही के आलेख का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा करने के पश्चात् मिनिट्स जारी की जायेगी।

10– **समिति की बैठकों का आयोजन व स्थान निरीक्षणः–** सामान्यतया समितियों की बैठकें प्राधिकरण के मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी किन्तु अध्यक्ष की सहमति से जोधुपर शहर में आवश्यकता के अनुरूप दूसरे स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है। समिति यदि किसी स्थल का निरीक्षण करना चाहेगी तो प्राधिकरण के सचिव तत्सम्बन्धी व्यवस्था करवायेंगे।

11– **समितियों के विनिश्चयों की अनुपालनाः–** समितियों के निर्णयों की पालना निर्णय के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समिति के सचिव का होगा। जहां जिस स्तर पर आदेश के कियान्वयन की कार्यवाही करवानी हो वहां पत्रावली प्रेषित कर शीघ्र पालना करवाई जायेगी। कार्यवाही सचिव द्वारा नहीं करवाने की अवस्था में समिति के अध्यक्ष बिना विलम्ब किये प्राधिकरण के अध्यक्ष की जानकारी में तथ्यों को लाएंगे और प्राधिकरण के अध्यक्ष निर्णय की अनुपालना न होन की स्थिति में उचित व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश प्रदान करेंगे।

12– **समिति के सदस्यों के लिए बैठक का भत्ताः–** समिति के केवल उन सदस्यों को जो पदेन सरकारी अधिकारी नहीं है, प्रत्येक बैठक के भत्ते के रूप में 100 रूपये प्राधिकरण के कोष से देय होंगे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014

भाग–I सामान्य

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 92 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में, जोधपुर विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा प्राधिकरण के अधीन नियमित रूप से स्वीकृत पदों पर भर्ती करने, नियुक्ति करने तथा नियुक्ति किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तो के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रयोज्यताः–**

(1) ये विनियम जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 कहलायेंगे।